कार्यालय जिला बेसिंक शिक्षा अधिकारी ,फर्रूखाबाद।

संख्यांक /बेसिक/मान्यता प्रमाण पत्र/ 3197-3202 /2019–20/ दिनांकः 23/07/19

प्रबन्धक :

माउन्ट लिट्रा जी स्कूल, मुरहास राधा स्वामी सम्संग भवन के सामने विकास क्षेत्र– मोहम्मदाबाद, फर्रूखाबाद।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक मे सूच्य है कि आपके प्रेषित प्रार्थना पत्र के कम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की मान्यता हेतु शासन के निर्गत शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 (20)/91 दिनांक– 08 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या– 418/79–6–2013–18 एस (07)/89 दिनांक– 08 मई 2013 द्वारा प्रदत्त मान्यता शर्तें एवं मानक के क्रम में आप द्वारा इस आशय का शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आप द्वारा मान्यता की शर्तें एवं मानक पूर्ण किये जा रहे हैं। जिस पर **खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र फर्रूखाबाद** की आख्या एवं संस्तुति के कम में आपकी संस्था को नर्सरी से कक्षा–8 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, परन्तु यदि कोई गलत तथ्य प्रकाश में आता है या विभागीय नियम निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह मान्यता प्रमाण पत्र आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त माना जायेगा।

भवदीय

(राम सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

पृ0सं0: दिनाँक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
2– जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
3– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
4– जिला विकलांग कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
5– खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित नगर क्षेत्र/विकास क्षेत्र फर्रूखाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।